न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 69/2014

बउनवान

प्रहलाद पुत्र गोपाल, जाति माली, निवासी बम्बूलिया जागीर, तहसील व जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 16.11.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 06.11.2012 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बमूलिया जागीर तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 935, 936 रकबा 0.40 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 200/– रूपये अर्थदण्ड एंव 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में अतिक्रमीत खसरा नंबर को स्पष्ट नही किया जाकर, अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बेगर पश्चातवर्ती अतिक्रमी का दोषी मानकर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.11.2012 निरस्त किया जावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:40 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का

अवसर नहीं दिया तथा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में किये गये अतिक्रमण का खसरा नंबर स्पष्ट अंकन नही किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.11.2012 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 261/2012 निर्णय दिनांक 28.02.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 935, 936 रकबा 0.40 है., किस्म–चारागाह ग्राम बम्बूलिया जागीर पर सम्वत् 2068 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 261/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2012 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 657/2012 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

जिला कलेक्टर न्यायालय

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:40 IST
Reason: SelfAttested